

कायालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य का सीलिंग आदेश)

पत्रांक : 1227 / वाद सं० आर-0173/एस-8/2022

दिनांक: 8/06/2023

श्री विशन सिंह / हितबद्ध व्यक्ति
800/2 सिरमोर मार्ग कौलागढ
देहरादून ।

विपक्षी श्री विशन सिंह / हितबद्ध व्यक्ति स्थल 800/2 सिरमोर मार्ग कौलागढ देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए बिना स्थल पर भूतल एवं प्रथम तल पर लगभग 30' गुणा 35' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित आवासीय भवन एवं भूतल पर एक दुकान का निर्माण कार्य पूर्व में किया गया है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है।

अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत दिनांक 31-8-2019 को कारण बताओं नोटिस, जारी करते हुए वाद संख्या आर-0173/एस-8/2022 योजित किया गया। विपक्षी से अपेक्षा की गई कि दिनांक 07-03-2022 को प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

नियत तिथि दिनांक 07-03-2022 को विपक्षी अनुपस्थित रहे। इसके उपरान्त भी सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियां दिनांक 11-4-2022, 31-3-2022, 25-4-2022, 09-05-2022, 6-6-22, 13-6-2022, 27-6-2022, 11-7-2022, 1-8-22, 8-8-22, 22-8-22, 12-9-22, 10-10-2022 नियत की गई, जिसमें विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 3-6-2023 के अनुसार विपक्षी द्वारा आवासीय मानचित्र सं० 423/90-91 दिनांक 1-6-90 में एक दुकान का निर्माण किया गया है तथा विपक्षी द्वारा कोई भी स्वीकृति प्राधिकरण में नहीं दिखाई गई। उक्त प्रकरण की बार बार शिकायतें आने के कारण उक्त भवन को सील करने की संस्तुति की गई है। किन्तु विपक्षी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी जानबुझ कर वाद के निस्तारण में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आप द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति के बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को सील किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

आदेश

विपक्षी श्री विशन सिंह / हितबद्ध व्यक्ति स्थल 800/2 सिरमोर मार्ग कौलागढ देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए बिना स्थल पर भूतल एवं प्रथम तल पर लगभग 30' गुणा 35' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित आवासीय भवन एवं भूतल पर एक दुकान का निर्माण कार्य पूर्व में किया गया है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालानशुदा अवैध निर्माण को दिनांक 13.6.23 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दे। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।